"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल 2016—चैत्र 16, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-14/2013/1/एक. — छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 फरवरी, 2016 द्वारा माननीय मंत्री, श्री रामसेवक पैकरा, गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, छत्तीसगढ़ के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उन्हें आवंटित गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार माननीय मंत्री, श्री अजय चन्द्राकर, छत्तीसगढ़ शासन को सौंपा गया था.

2. माननीय मंत्री, श्री रामसेवक पैकरा को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो गया है. अत: छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम, के नियम चार के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीय मंत्री श्री रामसेवक पैकरा, को गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का प्रभार सौंपते हैं.

3. माननीय मंत्री, श्री अजय चन्द्राकर के प्रभार पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग यथावत् बने रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.